न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .91/2024 उनवान गजराज वगै0 बनाम कल्याण वगैरह:

1. मंदिर श्री टाकुर बृजराज जी महाराज जरिये पुजारी सुरेश चन्द्र पुत्र मदनलाल जाति वैष्णव उम्र 30 वर्ष निवासी डांग तहसील अराई जिला अजमेर (राज.) प्रार्थी

बनाम

1. छगनलाल पुत्र सुजा जाति बलाई
2 नन्दूदेवी पत्नी सुजा जाति बलाई
3 प्रहलाद पुत्र सुजा जाति बलाई
4 लक्ष्मण पुत्र सुजा जाति बलाई
5. श्री किशन सुजा जाति बलाई
6. हरचन्द सुजा जाति बलाई
1 लगायत 6 सर्व निवासीगण ग्राम डांग तहसील अंराई जिला अजमेर
7. काना पुत्र हरचन्द जाति जाट
.8. घीसीदेवी पत्नी रामरिख जाति जाट
9. भंवरलाल पुत्र मूला जाति जाट
10. रतनलाल पुत्र मूला जाति जाट
11. रामकरण पुत्र रिद्धकरण जाति जाट
12. रामधन पुत्र उगमा जाति जाट
13. रामप्रसाद पुत्र नाथू जाति जाट
14. सत्यनारायण पुत्र हरचन्द जाति जाट 7 लगायत 14 सर्व निवासीगण ग्राम डांग तहसील अंराई जिला अजमेर
15. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा अंराई जिला अजमेर
16. श्रीमान तहसीलदार साहब, अंराई जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8/8/25

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी पारीक ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 03.05.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 26/2024 .पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम डांग तहसील अराई के खाता संख्या नये 132 खसरा नं0 994/513 रकबा 0.1618 हेक्टैयर किस्म बारानी ए प्रार्थी मंदिर के नाम पूर्ण एकल खातेदारी है ।प्रार्थी मंदिर की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 994/513 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 519 गै.मु. रास्ता स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि खसरा संख्या 994/513 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी खसरा संख्या 512 स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में

उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

खसरा नम्बर 314 गै० मु० रास्ता की भूमि स्थित है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 994/513 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर पुजारी सुरेश चन्द पुत्र मदनलाल वैष्णव बहैसियत मंदिर भूमि के केयर एण्ड टेकर के काफी अर्से दराज से काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के मध्य आये दिन सींव मेड (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के मध्य सीमा विवाद होने के कारण आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भमि पर विवाद उत्पन्न करते है । जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके कृषि भूमि वाके ग्राम डांग तहसील अराई के खाता संख्या नये 132 खसरा नं0 994/513 रकबा 0.1618 हेक्टैयर किस्म बारानी ए की सीमाओं का भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।..

2. दिनाकं 8.11.2024 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 की और से कोई उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की दिनांक 28.3.2025 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने द्वारा समय पर जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 8.8.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन कृषि भूमि वाके ग्राम डांग तहसील अराई के खाता संख्या नये 132 खसरा नं0 994/513 रकबा 0.1618 हेक्टैयर किस्म बारानी ए है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 70 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम डांग तहसील अराई के खाता संख्या नये 132 खसरा नं0 994/513 रकबा 0.1618 हेक्टैयर किस्म बारानी ए भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि भूमि वाके ग्राम डांग तहसील अराई के खाता संख्या नये 132 खसरा नं0 994/513 रकबा 0.1618 हेक्टैयर किस्म बारानी ए का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर

उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)